क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		नं. 410 को दिनांक 2/6/17 को स्वीकार किया है। एवं अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे किसी भी न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय पत्र को अवैध या शून्य घोषित नहीं किया गया है। उपरोक्त द्वितीय अपील भी खारिज हो चुकी थी। किन्तु इन तथ्यों को छुपाते हुए तहसीलदार को पक्षकार बनाते हुए प्रा. पत्र प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय अपील अधिकारी जयपुर आज्ञा दिनांक 6/6/18 द्वारा डिक्री दिनांक 22/11/22 को निरस्त कर दिया गया। राजस्व अपील अधिकार द्वारा अधिकारों की घोषणा नहीं की गई है पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली निपटारे के बाद ही नामान्तकरण नं. 410 उपखण्ड अधिकारी की निर्णय दिनांक 22/11/12 एवं विक्रय पत्र दिनांक 2/5/1997 के अनुसरण में पटवारी हल्का गया है। जो तहसीलदार द्वारा 2/6/17 को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार नामान्तकरण नं. 410/ केवल डिक्री के आधार पर नहीं खोला गया है बल्कि विक्रय पत्र दिनांक 2/5/1997 के आधार पर खोला गया है। जो किसी भी न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 2/5/97 को अवैध घोषित नहीं किया गया है। इस कारण उपरोक्त प्रा. पत्र 144CPC के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रा. पत्र 144CPC का खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

[illegible] अधिकारी

[illegible] (जयपुर)